राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 522/2025

नीरज नवीन चन्द्र शाह **–अपीलार्थी**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.02.2025
आदेश की दिनांक : 25.02.2025

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री सी.पी. त्रिवेदी अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : चेतन राम देवडा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में जिला परिवहन अधिकारी के पद पर बांसवाडा में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान कार्यरत स्थल बांसवाडा से प्रतापगढ में किया गया है। इससे पूर्व अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 11.08.2021 (अनुलग्नक–2) के द्वारा बिना किसी प्रशासनिक आवश्यक्ता के डूंगरपुर से रतनपुर किया गया था जिसकी अनुपालना में अपीलार्थी ने कार्यग्रहण कर लिया था। तदुपरान्त पुनः आदेश दिनांक 27.07.2022 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेशों की प्रतीक्षा में जयपुर से सलूम्बर, उदयपुर किया गया। इस आदेश के मात्र चार माह के भीतर ही पुनः आदेश दिनांक 16.11.2022 (अनुलग्नक–4) द्वारा सलूम्बर से डूंगरपुर स्थानान्तरण किया गया। इस आदेश के मात्र 8 माह के भीतर पुनः आदेश दिनांक 12.09.2023 (अनुलग्नक–5) द्वारा अपीलार्थी का डूंगरपुर से

बांसवाडा स्थानान्तरण कर दिया गया। अपीलार्थी का अधिवक्ता का कथन है कि राज्य सरकार की स्थानान्तरण नीति के अनुसार दो वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पश्चात् ही कार्मिक का स्थानान्तरण किया जायेगा, की अवहेलना करते हुए बिना किसी प्रशासनिक आवश्यक्ता के अपीलार्थी का अल्पावधि में ही बार–बार स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी की माता जी का दिनांक 10.01.2011 को निधन हो चुका है तथा अपीलार्थी के भाई का भी केन्सर की बीमारी के कारण दिनांक 25.01.2011 को निधन हो चुका है (अनुलग्नक–6 एवं 7)। अपीलार्थी के वृद्ध पिताजी जिनकी आयु 84 वर्ष है, जिनका केंसर का ईलाज चल रहा है (अनुलग्नक–8) एवं उनकी देखरेख अपीलार्थी को करनी होती है। आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 श्री ओम सिंह शेखावत को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने की दृष्टि से बिना किसी प्रशासनिक आवश्यक्ता के जारी किये गये हैं। आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 में प्रत्यर्थी संख्या 4 के स्थानान्तरण को प्रत्यर्थी संख्या 4 श्री ओम सिंह शेखावत ने राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जोधपुर के समक्ष स्थगन आदेश हेतु अपील संख्या 200/2025 दायर की गई, जिस पर अधिकरण के आदेश दिनांक 27.01.2025 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 4 के पक्ष में अन्तरिम स्थगन आदेश (संलग्नक–9) जारी किया जा चुका है, इस प्रकार आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 जारी होने के पश्चात् अपीलार्थी के वर्तमान पदस्थापन स्थान पर अपीलार्थी का पद रिक्त हो गया है।

3. अतः उपरोक्त परिस्थितियों में आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त करते हुए प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को आलोच्य आदेश जारी होने से पूर्व जहां कार्यरत था वहीं पर ही कार्यरत रखा जावे।
4. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी और पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अवलोकन कर मनन किया गया।
5. अपीलार्थी द्वारा उठाया गया प्रश्न विचारणीय है। अतः अपील ग्राह्य की जाती है। अपीलार्थी के पिता के केंसरग्रस्त होने एवं चिकित्सकीय परिस्थितियों के दृष्टिगत हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते है कि अपीलार्थी अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन आदेश की दिनांक से 2 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 2 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण किये जाने तक अपीलार्थी

के सम्बन्ध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित रहेगा एवं अपीलार्थी को वहीं पर कार्यरत रखा जावे जहां पर वह चुनौती आदेश पारित किए जाने से पूर्व कार्यरत था। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवडा)
सदस्य